

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा./स्था/2023/7434

दिनांक 25/09/23

// कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी को सूचित किया जाता है कि, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पत्र क्रमांक निर्वा./25-6/71/2023/982 ग्वालियर, दिनांक 15 सितम्बर 2023 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्य समाप्ति तक किसी भी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित श्रीमती अंजू अरुण कुमार (आई.ए.एस) अपर कलेक्टर ग्वालियर सह नोडल अधिकारी, मतदान दल गठन एवं निर्वाचन प्रशिक्षण के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उनसे अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग करें साथ ही जिन शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी पूर्व से स्वीकृत अवकाश है तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि, वे तत्काल कार्यालय उपस्थिति दर्ज करावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि,

1. समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशासन)